श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयन्ती ''प्रकाशोत्सव'' की तैयारी के संबंध में दिनांक–08.07.2016 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयन्ती ''प्रकाशोत्सव'' की तैयारी की समीक्षा हेतु आहूत इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उन्हें प्रकाशोत्सव की तैयारियों की प्रगति के अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। इस क्रम में बताया गया कि ''प्रकाशोत्सव'' का मुख्य कार्यक्रम दिनांक 4 जनवरी से 6 जनवरी, 2017 को आयोजित होना प्रस्तावित है, किन्तु श्रद्धालुओं का आगमन दिसम्बर–2016 के अंतिम सप्ताह से ही प्रारंभ हो जाएगा। जयन्ती की तैयारी हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर भी कई बार उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हो चुकी है। इसके साथ ही आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं जिलाधिकारी, पटना के स्तर पर भी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

2. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि कार्यक्रम के आयोजक को राज्य सरकार को ओर से किन–किन बिन्दुओं पर सहयोग अपेक्षित है। उदाहरण स्वरूप लंगर की व्यवस्था कौन करेगा, टेन्ट सिटी में टेन्ट कौन बनाएगा, अन्य श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था कौन करेगा? इन बिन्दुओं के संबंध में मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि गुरूद्वारा प्रबंधन कमिटी के साथ बैठक कर सारी बातें स्पष्ट कर ली जाय। आयोजन के क्रम में अन्य बुनियादी सुविधाएँ यथा–पेयजल, शौचालय, बिजली, भीड़ नियंत्रण, विधि–व्यवस्था का संधारण का कार्य राज्य सरकार करेगी।

3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा प्रकाशोत्सव की तैयारी से संबंधित अद्यतन स्थिति को पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम् से प्रस्तुत किया गया तथा बताया गया कि उक्त उत्सव के सफल आयोजन हेतु 14 कोषांगों एवं कार्यो के सूक्ष्म अनुश्रवण हेतु 12 जोन का गठन किया गया है तथा आयोजन के पूरे क्षेत्र को अलग–अलग जोन में बाँट कर समन्वय एवं समीक्षा की जा रही है।

4. तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निम्नांकित निदेश दिए गए :–

क्र0	विभाग	संबंधित कार्य
1	पथ निर्माण विभाग	प्रकाशोत्सव के मद्देनजर पथ निर्माण विभाग द्वारा 7 तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 25 योजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिनमे से छः योजनाएँ पूर्ण हो गयी है एवं शेष योजनाएँ प्रगति पर है, जो अक्टूवर–2016 तक पूर्ण होंगी। चौक शिकारपुर आर0 ओ0 बी0 के संबंध में इरकॉन के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जुलाई 2016 के अन्त तक इसे पूर्ण कर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। कारगिल चौक से दीदारगंज तक अशोक राजपथ के चौड़ीकरण कार्य का प्राक्कलन अबतक तैयार नहीं किये जाने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चिंता व्यक्त की गई, एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार को निदेश दिया गया कि इसमें तत्परता बरती जाय, ताकि प्रकाशोत्सव से पूर्व ससमय उक्त कार्य पूर्ण हो सके।
2	रेलवे विभाग	मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि पटना साहिब स्टेशन पर चल रहे सौन्दर्यीकरण कार्य नवम्बर, 2016 तक पूर्ण हो जाएँगे। पटना साहिब से पटना घाट तक रेलवे ट्रैक का कार्य एवं स्टेशन का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य दो–तीन माह में पूर्ण हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित किया गया कि पटना जंक्शन से पटना घाट तक सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म, वेटिंग रूम, यूरिनल, पार्किंग आदि की व्यवस्था ससमय पूर्ण करायी जाय। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि पटना सिटी से दानापुर तक रेलवे लाईन के ऊपर छः फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु 7.20 करोड रूपये की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के शीध्र कार्यान्वयन का अनुरोध रेलवे के पदाधिकारियों से किया गया।

		इस अवसर पर दिल्ली, मुम्बई, इन्दौर, अमृतसर एवं नान्देड़ से अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन की आवश्यकता पर चर्चा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे आवश्यकता का आकलन कर अपने स्तर से इसके परिचालन की व्यवस्था करेंगे। प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, दानापुर ने बताया कि रेलवे द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पटना जंक्शन से पटना साहिब एवं पटना घाट रेलवे स्टेशन के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु शटल रेल सेवा का भी परिचालन किया जाएगा।
3	बेल्ट्रॉन (सी0सी0टी0वी0 का अधिष्ठापन)	प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि इस कार्य हेतु 28 लाख रू0 विमुक्त की गई है। प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन द्वारा बताया गया कि प्रकाशोत्सव के अवसर पर सी0सी0टी0वी0 कितनी संख्या में कहाँ अधिष्ठापित होगा, इसकी सूची अप्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित किया गया कि जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सी0सी0टी0वी0 के अधिष्ठापन हेतु स्थल चिन्हित करेंगे और उन चिन्हित स्थलों पर बेल्ट्रॉन द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा के अधिष्ठापन हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाए। पूर्व से स्वीकृत योजना के अन्तर्गत इसे स्थायी रूप से ससमय अधिष्ठापित कराया जायेगा। इस योजना को सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की योजना से अलग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	इस उत्सव के दौरान विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप इस हेतु चिन्हित स्थलों पर टैंकर से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, द्वारा बताया गया कि पुराने टैंकरों की मरम्मति करा ली गई है एवं 60 नये टैंकरों का क्रय किया जा रहा है। सभी विभागीय टैंकरों को चालू स्थिति

		में रखने एवं चिन्हित स्थलों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त टेन्टेड सिटी, पार्किंग स्थलों एवं अन्य अस्थायी आवासन स्थलों पर शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था आउटसोर्सिंग एजेन्सी से कराये जाने की स्थिति में इन व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जायेगा।
5	उर्जा विभाग	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि गुरूद्वारा क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में पाया गया कि बिजली के तार बृहद पैमाने पर रोड एवं गली के उपर जाल की तरह इस पार से उस पार फैले हुए है तथा कई स्थानों पर लटक रहे हैं, जिसे सुव्यवस्थित कराने हेतु महाप्रबंधक, पेसू को निदेश दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि बिजली के तार से संबंधित उपरोक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कोई अप्रिय घटना की संभावना न रहे। प्रबंध निदेशक, साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रिव्यूशन कंपनी लिमिटेड को निदेश दिया गया कि पटना सिटी क्षेत्र में जहाँ भी बिजली का तार रोड क्रॉस कर रहा हो या बिजली के पोल पर विभिन्न घरों में जाने वाले तार झूल रहे हों, को अविलम्ब ठीक कराया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि वे स्वयं तकनीकी पदाधिकारियों की टीम के साथ स्थल का निरीक्षण करें एवं निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दें। सम्पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराई जाय, ताकि निदेश के अनुपालन की समीक्षा की जा सके। पटना सिटी क्षेत्र के सभी जर्जर तारों को बदलने एवं Aerial Bunch Cabling का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ हर हाल में ससमय पूर्ण कराने का

		निदेश दिया गया। यह ध्यान रखा जाए कि पटना सिटी सहित नगर कीर्तन वाले मार्ग में कहीं भी बिजली का तार सड़क को ओभर हेड पार नहीं करे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्य की महत्ता के मद्देनजर निदेशित किया गया कि यह कार्य अविलम्ब प्रारंभ कराये जाने की आवश्यकता है ताकि ससमय यह पूर्ण हो सके।
6	नगर विकास एवं आवास विभाग	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि भारत सरकार से जयंती के अवसर पर विभिन्न तैयारियों के लिए पचास करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं, जिसके विरूद्ध 59.80 करोड़ रूपये की पथ निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाएं स्वीकृत करते हुए 55.99 करोड़ रूपये विमुक्त की गई है। उक्त योजनाओं का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है जिसे ससमय पूर्ण करा लिया जाएगा। बुडको द्वारा पटना सिटी क्षेत्र में 10 चिन्हित स्थलों पर हाईमास्ट लाईट एवं 12 पथों/गलियों में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है, जिसे अक्टूबर–2016 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेशित किया गया कि प्रकाश की व्यवस्था के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि पटना सिटी सहित पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहे।
7	पटना नगर निगम	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि पटना नगर निगम द्वारा प्रकाशोत्सव के अवसर पर सम्पूर्ण क्षेत्र में साफ–सफाई हेतु योजना तैयार कर ली गई है। संसाधनों की कमी के मद्देनजर कतिपय क्षेत्रों में आउट सोर्सिंग की जाएगी। उनके द्वारा विशेष सफाई अभिगान, गलियों के पक्कीकरण, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की

		मरम्मति, स्ट्रीट लाईट का रख–रखाव, नालों की मरम्मति एवं निर्माण, आदि कार्यों के लिए आवंटन हेतु अनुरोध किया गया। प्रधान सचिव, नगर आवास एवं विकास विभाग को निदेश दिया गया कि पटना नगर निगम को आवश्यकतानुरूप राशि उपलब्ध कराई जाय। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निदेश दिया गया कि वे आयोजन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए साफ–सफाई की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे, ताकि इस अवसर पर देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाई न हो साथ ही राज्य की छवि धूमिल न हो। उक्त क्रम में गुरूद्वारा के आस–पास के क्षेत्र सहित पटना सिटी एवं पटना शहर के सभी इलाकों में 24X7 कचरा का उठाव, सड़को एवं गलियों की दैनिक सफाई, नियमित फॉगिंग किया जाना है। स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लाईट को भी कार्यरत रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं अनुश्रवण किया जाना है। इसके अतिरिक्त नालियों की नियमित सफाई, ब्लीचींग पाउडर का छिड़काव भी किया जाना है। यह भी ध्यान रखा जाना है कि गुरूद्वारा के आस–पास एवं पटना सिटी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नाली ओवरफ्लो न करे एवं कहीं भी कचरा का जमाव न हो। इसके लिए कारगर कार्य योजना तैयार कर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का निदेश नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को दिया गया।
8	बिहार राज्य जल पर्षद	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि पटना सिटी क्षेत्र में 04 नए टयूबबेल का अधिष्ठापन 31 अगस्त 2016 तक कर लिया जाएगा। चौक थाना परिसर में भी एक बोरिंग का टयूबबेल का अधिष्ठापन किया जा रहा है जिससे पाईप लाईन के माध्यम से गुरूद्वारा में जलापूर्ति की अतिरिक्त व्यवस्था संभव हो पायेगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख

		स्थानों पर स्टैंड पोस्ट व प्याऊ द्वारा जलापूर्ति की भी व्यवस्था की जाएगी। उनके द्वारा बताया गया कि सभी कार्यो का डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार हो जाएगा तथा ससमय सभी योजनाएं पूर्ण कर ली जाएगी।
9	शिक्षा विभाग	इस उत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु स्कूलों की आवश्यकता होगी। इस हेतु विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि श्रद्धालुओं एवं पुलिसबल के आवासन हेतु आवश्यकतानुरुप जिला प्रशासन द्वारा चयनित विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं यथा–मरम्मति, शौचालय, पेयजल, रोशनी इत्यादि की सुविधा शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी। जिन विद्यालयों में पूर्व से विद्युत कनेक्शन नहीं है वहाँ विधिवत ससमय विद्युत कनेक्शन लिया जाय।
10	स्वास्थ्य विभाग	सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि पी0एम0सी0एच0 एवं एन0एम0सी0एच0 में प्रकाशोत्सव के अवसर पर डेडीकेटेड वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवासन स्थल, टेंट सिटी एवं मार्ग में अस्थाई अस्पताल/चिकित्सा शिविरों की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के जीर्णोद्धार की योजना में 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य सितम्बर, 2016 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्हें निदेश दिया गया कि वे उक्त अवसर पर अस्पतालों एवं चिकित्सा शिविरों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगें। अतिरिक्त चिकित्सा एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
11	परिवहन विभाग	इस उत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु परिवहन विभाग द्वारा रिंग सर्विस का परिचालन अपेक्षित है। प्रधान

		सचिव, परिवहन विभाग को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। भीड़ वाले इलाके में पर्याप्त संख्या में ई–रिक्शा के परिचालन के विकल्प पर भी विचार किया जाए। प्रधान सचिव को निदेश दिया गया कि वे एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया एवं संबंधित एयरलाईंस से समन्वय कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त Flight के परिचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
12	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स लगाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के उपस्थित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि नगर निगम को पटना शहर के अन्तर्गत प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने हेतु पूर्व में सूचना दे दी जाय। इस अवसर पर होर्डिंग इत्यादि की व्यवस्था के संबंध में प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा पर्यटन विभाग से समन्वय कर प्रकाशोत्सव के प्रचार–प्रसार हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन, टी0वी0 चैनलों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल के प्रसारण इत्यादि का कार्य भी कराया जायेगा।
13	सामान्य प्रशासन विभाग	प्रकाशोत्सव के अवसर पर विधि–व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण हेतु एक माह के लिए 50 अतिरिक्त दंडाधिकारियों की आवश्यकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग इसकी व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करायें।
14	पर्यटन विभाग	प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकाशोत्सव की तैयारी के क्रम में विभाग द्वारा विकास की विभिन्न योजनाएं ली गई है, जिन्हें विभिन्न विभागों यथा–पथ निर्माण प्रमंडल, पटना सिटी द्वारा पथ निर्माण, पटना नगर निगम द्वारा गुरूद्वारा क्षेत्र में डस्टबीन, बुडको द्वारा स्ट्रीट लाईट एवं

		हाईमास्ट लाईट इत्यादि के लिए राशि उपलब्ध कराते हुए उनके माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग के स्तर से श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी सामग्री, यथा सिटी मैप, रूट मैप, पर्यटन मार्गदर्शिका, दूरभाष निदेशिका आदि का मुद्रण कराया जा रहा है। पटना एवं आस–पास के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के भ्रमण हेतु परिवहन विभाग के समन्वय से टूर पैकेज की भी व्यवस्था की जायेगी। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार से प्राप्त 50.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध 41.50 करोड़ रू0 की योजनाएं स्वीकृत की गई है। सभी स्वीकृत योजनाओं को सितम्बर 2016 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि विभिन्न विकास की योजनाओं के अतिरिक्त ब्रोशर, कॉफी, टेबुल बुक, टी0वी0सी0, रेडियो जिंगल, आदि का भी मुद्रण/प्रसारण कराया जा रहा है। उक्त अवसर पर लेजर लाईट एवं साउन्ड शो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव के आयोजन हेतु भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सिख बाहुल्य दस शहरों में रोड शो के आयोजन हेतु ईवेन्ट मैनेजमेन्ट एजेन्सी का चयन कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि चूँकि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें देश–विदेश के श्रद्धालुगण भाग लेंगे, अतः उक्त अवसर पर श्रद्धालुओं को आमंत्रित किये जाने हेतु "रोड शो" कार्यक्रम को "आमंत्रण" आधारित कोई अन्य वैकल्पिक नाम से आयोजित किया जाए।
15	पार्किंग	पार्किंग के लिए बाईपास के निकट 60 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सचिव, पथ निर्माण विभाग को निदेशित किया गया कि उक्त चिन्हित भूमि में कितनी गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था हो सकेगी, यह स्पष्ट कर लिया

		जाय एवं तदनुसार कार्रवाई की जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पार्किंग हेतु चिन्हित भूमि में सम्पर्क पथ व समतलीकरण आदि का कार्य ससमय करा लिया जाय।
16	गृह विभाग	प्रकाशोत्सव के अवसर पर विधि–व्यवस्था के संधारण की कारगर कार्य योजना अपेक्षित है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो एवं उत्सव शांतिपूर्ण एवं सद्‌भाव पूर्ण माहौल में सम्पन्न हो सके। उक्त कम में पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की आवश्यकता का आकलन करते हुए गृह विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायगी। इसके लिए अन्य संसाधनों यथा–पुलिस पिकेट का निर्माण, ट्रैफिक बैरियर, वॉयरलेस सेट, पुलिस बलों के मूवमेंट, आवासन, भोजन, ईंधन आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
17	कंगन घाट	मुख्य सचिव द्वारा कंगन घाट पर लंगर के लिए 10 एकड़ जमीन गुरूद्वारा प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराने लीज की भूमि के समतलीकरण एवं अशोक राज पथ से कंगन घाट तक के सम्पर्क पथ में पड़ने वाली रैयती भूमि के लीज हेतु आवश्यक राशि का आवंटन करने का निदेश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा कंगन घाट पर लंगर के लिए 10 एकड़ जमीन, बाल लीला गुरूद्वारा द्वारा अधियाचित गुरू गोविन्द सिंह कॉलेज के पीछे स्थित 6 एकड़ सरकारी जमीन तथा कंगन घाट निर्माण हेतु भूमि एवं कंगन घाट के सम्पर्क पथ के सौन्दर्यीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिलाधिकारी, वैशाली को दिया गया। कंगन घाट के सम्पर्क पथ में पड़ने वाले गडढे जिसमें पानी भरा है, को भरकर स्थायी पथ के निर्माण का निदेश पथ

		निर्माण विभाग को दिया गया। यदि इस स्थल पर स्थायी पथ निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं हो तो वैसी स्थिति में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पीपा पुल के निर्माण की कार्रवाई की जाए।
18	विविध	राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना स्थित सभी रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टेन्टेड सिटी, गुरूद्वारा, पार्किंग एवं गुरूद्वारा की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गो के चिन्हित स्थलों पर हेल्प–डेस्क स्थापित की जाए। सभी हेल्प–डेस्क में पुलिस सहायता, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, पूछ–ताछ, खोया–पाया, मार्ग प्रदर्शन, पर्यटक स्थलों की सूचना इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

10/8/2016

ह०/–
(आयुक्त)
पटना प्रमंडल, पटना।

(प्रधान सचिव)
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–59/2014 5421 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–17/8/16

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार एवं विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

10/8/2016

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–59/2014 5421 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–17/8/16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव/पर्यटन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/परिवहन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा/आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/ट्रैफिक एस०पी०, पटना/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/महासचिव तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त

सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

10/8/2016

सरकार के प्रधान सचिव।